न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 30/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/33)

1. मुश्ताक पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।
2. रामेश्वर पुत्र नानू दास जाति कामड़ साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।
3. अब्दुल हक पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।
4. बनवारी पुत्र शंकरदास जाति कामड साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।
5. महावीर पुत्र ख्यालीराम जाति नाई साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रावतसर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री विजय पारीक — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 06.06.2022

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत इन्तकाल दिनांक 17.11.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो पर अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा दिनांक 28.10.2021 को ग्राम गन्धेली के चक 30 आर.डब्ल्यू.डी. व गन्धेली बारानी के पत्थर नं. 55/24 के किला नं. 1 व 2 तथा चक 30 आर.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नं. व मुरब्बा नं. 25 के किला नं. 4, 5, 6, 7 व 8 बावत हाडारोडी हेतु आवंटन आदेश पारित किया गया था। जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध अति.संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील विचाराधीन थी जिसमें दिनांक 16.11.2021 को स्थगन आदेश भी पारित हो चुका था। स्थगन आदेश की जानकारी अधीनस्थ

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय में दे दी गई थी। स्थगन आदेश की जानकारी देने के बावजूद नायब तहसीलदार रावतसर ने दिनांक 17.11.2021 को इन्तकाल स्वीकृत कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत इन्तकाल दिनांक 17.11.2021 को निरस्त किया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल सही स्वीकृत किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार के निर्णय दिनांक 17.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलान्ट पक्षकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया है जिसमें जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के मूल आदेश दिनांक 28.10.2021 के विरूद्ध अदालतवाला में एवं सिविल न्यायालय में प्रकरण जैरकार होने के आधार पर हितबद्ध पक्षकार होने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपील मूलतः नामान्तकरण सं. 289 दिनांक 10.11.2021 जो कि तहसीलदार रावतसर के द्वारा दिनांक 17.11.2021 को स्वीकृत किया है के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलान्ट का कथन है कि अदालतवाला में अपील सं. 28/2021 में स्थगन आदेश दिनांक 16.11.2021 को जारी स्थगन के दौरान नामान्तकरण सं. 289 स्वीकृत किया गया है के सन्दर्भ में अदालतवाला की पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि स्थगन आदेश सम्बन्धित तहरीर क्रमांक 441-442 दिनांक 17.11.2021 को जारी हुई है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रावतसर को नामान्तकरण सं. 289 निर्णित करते समय स्थगन की जानकारी हो यह नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन नामान्तकरण जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 28.10.2021 की पालना में स्वीकृत किया गया है तथा जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 28.10.2021 को

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अदालतवाला द्वारा अपील सं. 28 / 2021 में यथावत रखते हुए अपील को खारिज किया जा चुका है। साथ ही धारा 75 भू– राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार के निर्णय के विरूद्व प्रथम अपील संधारण योग्य भी नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।